ईमेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–06/2010–12 दिनांक:लखनऊ:नवम्बर 14, 2018

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद, उत्तर प्रदेश।
समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः–सीसीटीएनएस पोर्टल पर "संज्ञेय मामलों के अन्वेषण में अंतिम रिपोर्ट फार्म को भरना एवं मुकदमें का खात्मा या खारजी (expunge) की रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु निर्देश" अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाऐ) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज किये जाने विषयक।

सन्दर्भः– समांक पत्र दिनांकित 24.10.2018

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस पोर्टल पर **"संज्ञेय मामलों में अन्वेषण में अंतिम रिपोर्ट फार्म को भरना एवं मुकदमें का खात्मा या खारजी (expunge) की रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु अंतिम रिपोर्ट के अंदर एक और अंतिम रिपोर्ट का ऑप्शन आता है उसे न चयन करके अंकित रिपोर्ट में खात्मा या खारिज(expunge) का ऑप्शन है। उसे चयन करना है, और अगर धारा ऑल्टर हुई है तो ऑल्टर करके ही फाइनल रिपोर्ट लगाने हेतु निर्देश" अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाऐ) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज** करने की व्यवस्था है। जोन /परिक्षेत्र/ जनपद के कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) द्वारा उपरोक्त सूचना अंकित किये जाने की जिम्मेदारी होगी।

2. इस सम्बन्ध उक्त प्राथमिकी दर्ज करते समय उपरोक्त निर्देश के अनुसार सूचना दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भ में इस प्रकिया को सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष तथा जनपद के थाना में नियुक्त आपरेटर (ग्रेड–ए) के साथ–साथ जोन /परिक्षेत्र/ जनपद के कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) भी जिम्मेदार होंगे। उक्त कार्य में शिथिलता पाये जाने पर जनपद पुलिस प्रभारी उनके विरूद्व दण्डात्मक प्रकिया अपनायें।

3. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा काइम मीटिंग में अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें।

समन्वयक अधिकारी– श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, प्रभारी नेटवर्क आपरेटिंग सेन्टर (NOC) उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ से सीयूजीनं0–7839858257 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नक–यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।

14/11

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, प्रभारी नेटवर्क आपरेटिंग सेन्टर (NOC) उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
4. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
5. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अंतिम फॉर्म को भरना एवं मुक़दमे का खात्मा या खारजी करना

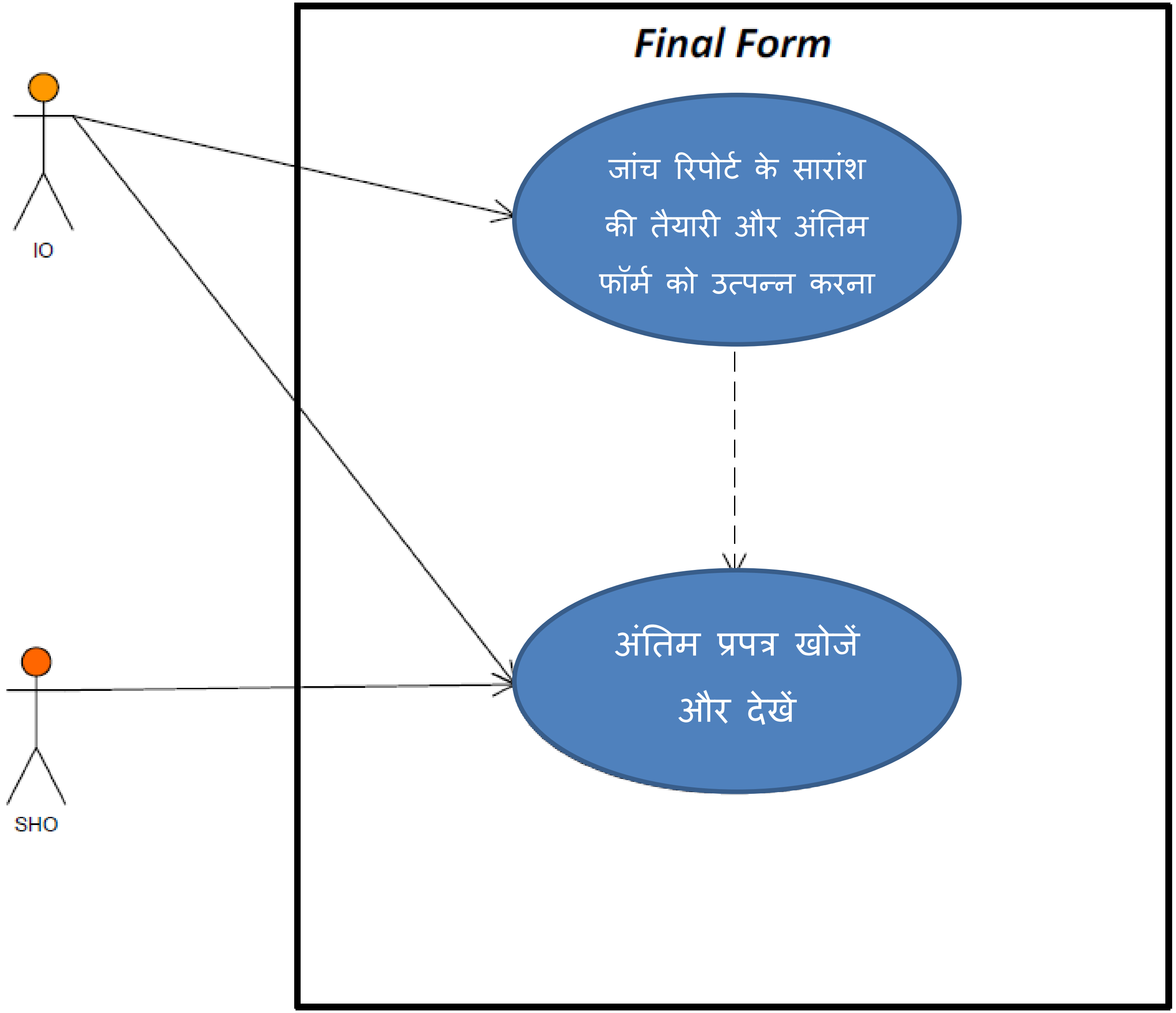

1. सर्वप्रथम विवेचक/SHO (यदि स्वयं विवेचना कर रहे हों), CCTNS की ID से LOGIN करें |

2. “अनुसन्धान” → “IIFII - IIFV” → “अंतिम प्रपत्र (IIFV)” → “जाँच रिपोर्ट और अंतिम प्रपत्र का सारांश” पर क्लिक करें |

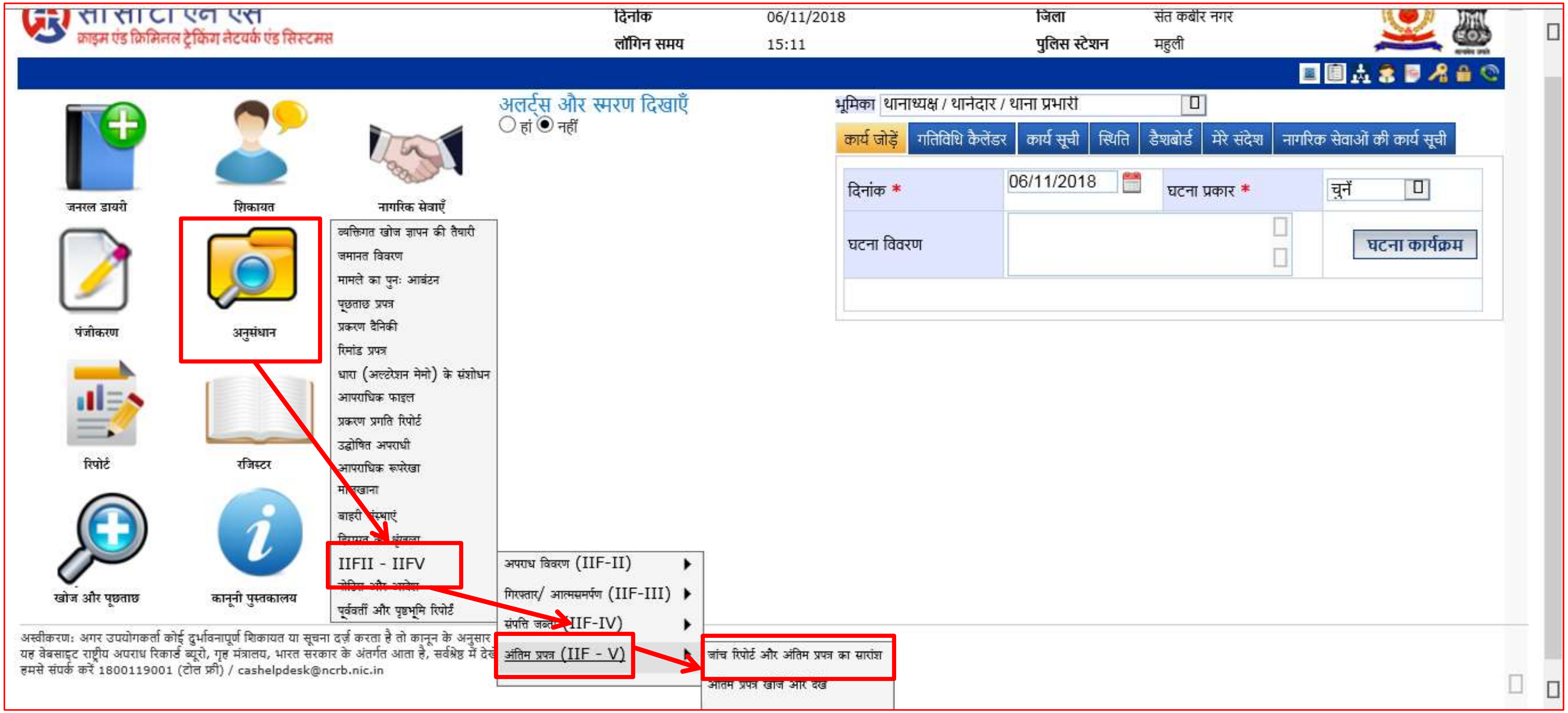

3. उस FIR/NCR को खोजें जिस पर अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र लगाना है | इसके लिए FIR या NCR रेडियो बटन को चुनें | FIR/NCR संख्या अथवा समय सीमा भी दे सकते हैं | तत्पश्चात "खोजें" बटन पर क्लिक करें |
4. दिये गये विकल्प के आधार पर चयनित FIR/NCR की सूची प्रदर्शित होगी | यदि कोई FIR/NCR प्रदर्शित न हो तो पुनः सही डाटा भर कर प्रयास करें | यदि फिर भी सूची में FIR/NCR प्रदर्शित न हो तो संभव है कि वह FIR/NCR उपलब्ध नहीं होगी |
5. यहाँ एक सूचना प्रदर्शित होगी | ध्यान दें कि IIFV भरने पर IIF-2 से IIF-4 के मध्य कोई बदलाव नहीं हो सकेगा | इसलिए IIF 5 भरने से पूर्व IIF-2 से IIF-4 से सम्बंधित सारी जानकारी भर लें | यदि अधिनियम एवं धारा में बदलाव करना हो तो कर लें |

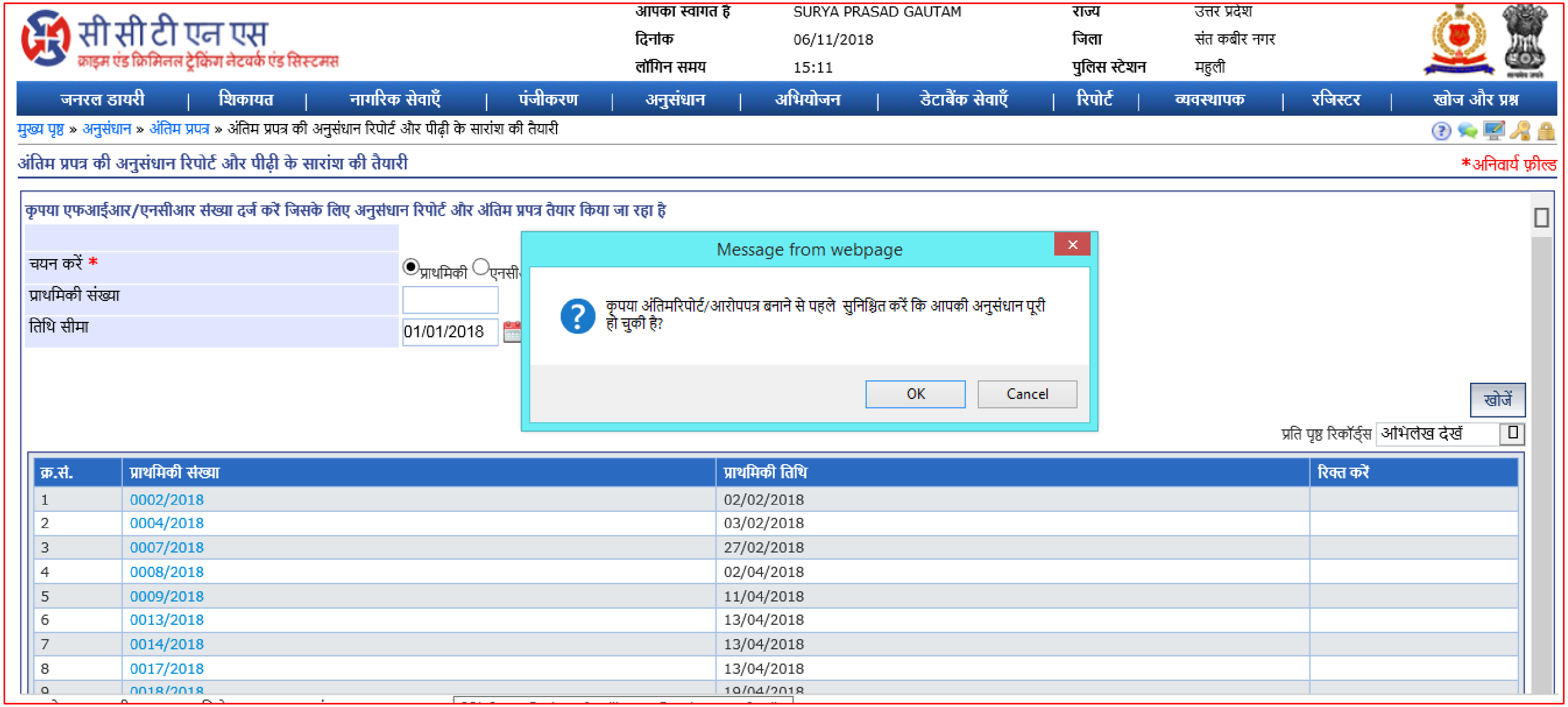

6. उपरोक्त चयनित सूची में से वांछित FIR/NCR पर क्लिक करें | उस FIR/NCR का विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें FIR/NCR संख्या, तिथि, शिकायतकर्ता, अधिनियम एवं धाराएँ इत्यादि प्रदर्शित होंगीं |
7. चयनित FIR/NCR के अंतिम प्रपत्र से सम्बंधित आवश्यक जानकारी (अंतिम रिपोर्ट की जानकारी, अन्य जानकारी, संपत्ति सूचक आदि) भरना होगा जिसके लिए अलग-अलग टैब प्रदर्शित हो रहे होंगें |
8. “अंतिम रिपोर्ट की जानकारी”→”आरोपपत्र के प्रकार” में “आरोप पत्र” या “अंतिम पत्र” चुना जा सकता है |

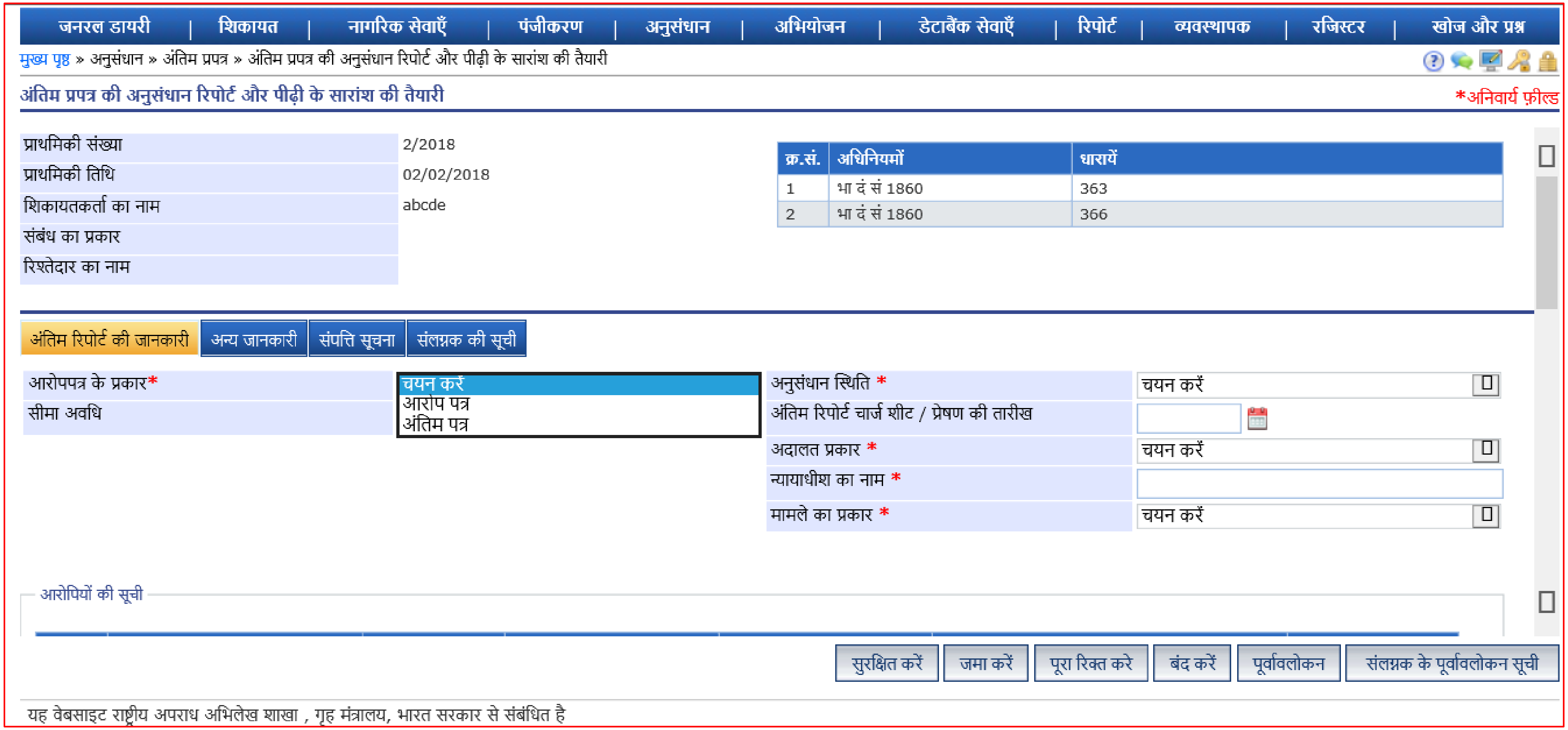

9. “अंतिम रिपोर्ट की जानकारी”→”अनुसन्धान स्थिति” में दो विकल्प “पूरा हो गया है” या “निरंतर” चुना जा सकता है |

10. “अंतिम पत्र” भरते समय “पूरा हो गया है” विकल्प ही चुना जा सकता है | दूसरा विकल्प, “निरंतर”, क्रियाशील नहीं होगा |

11. “आरोप पत्र” भरते समय यदि अभियुक्तों की गिरफ़्तारी शेष है अथवा किसी कारणवश विवेचना अपूर्ण है, ”अनुसन्धान स्थिति” में “निरंतर” चुना जा सकता है | विवेचना पूर्ण करने पर “पूरा हो गया है” विकल्प चुना जा सकता है |

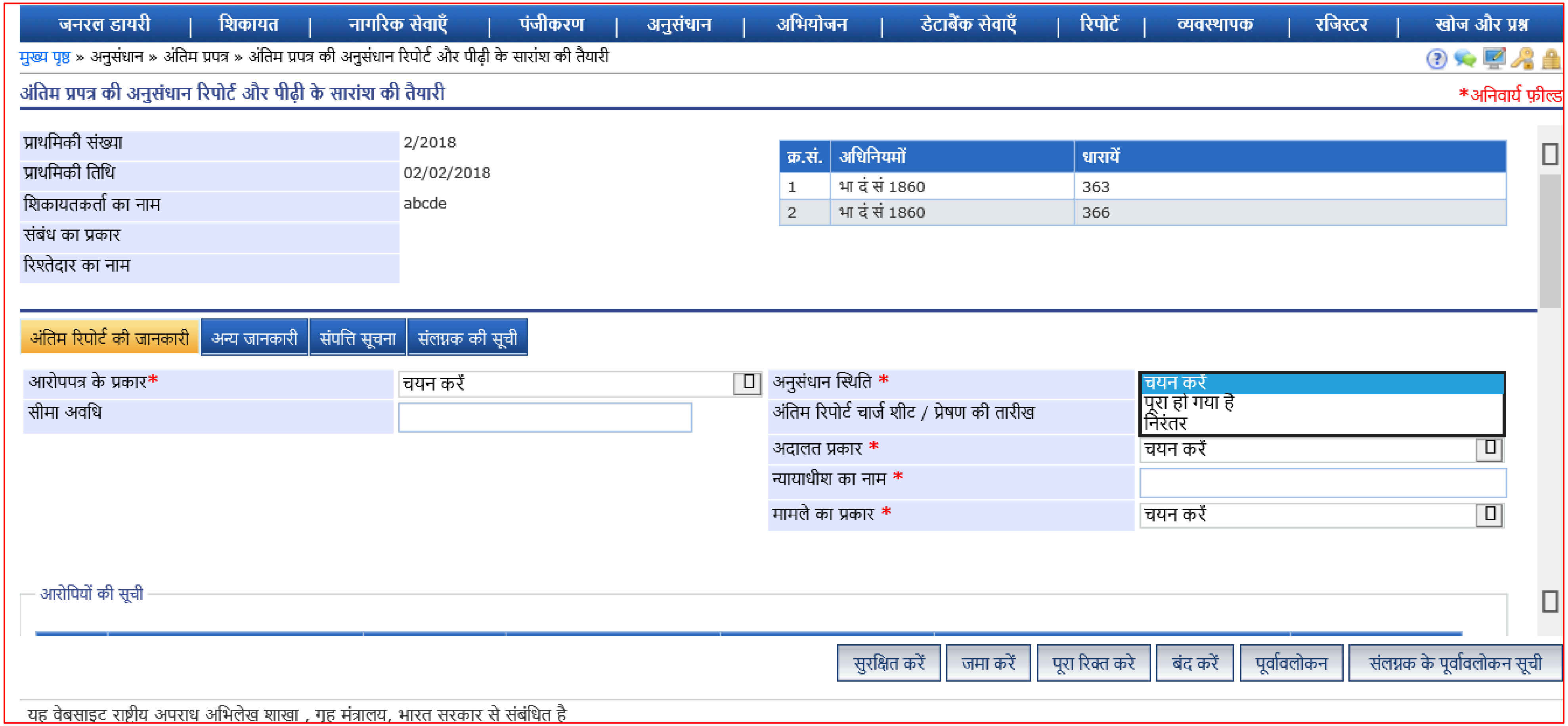

12. “अंतिम रिपोर्ट की जानकारी” टैब में “आरोपपत्र के प्रकार” में “अंतिम पत्र” चुनने पर ”अंतिम रिपोर्ट के प्रकार” में “अंतिम पत्र” लगाने के विभिन्न विकल्प प्रदर्शित होते हैं जैसे-कार्यवाही रद्द की गई, खात्मा, खारजी, घटित नहीं हुआ, सुराग नहीं मिला, सरकार द्वारा वापस ले ली इत्यादि |

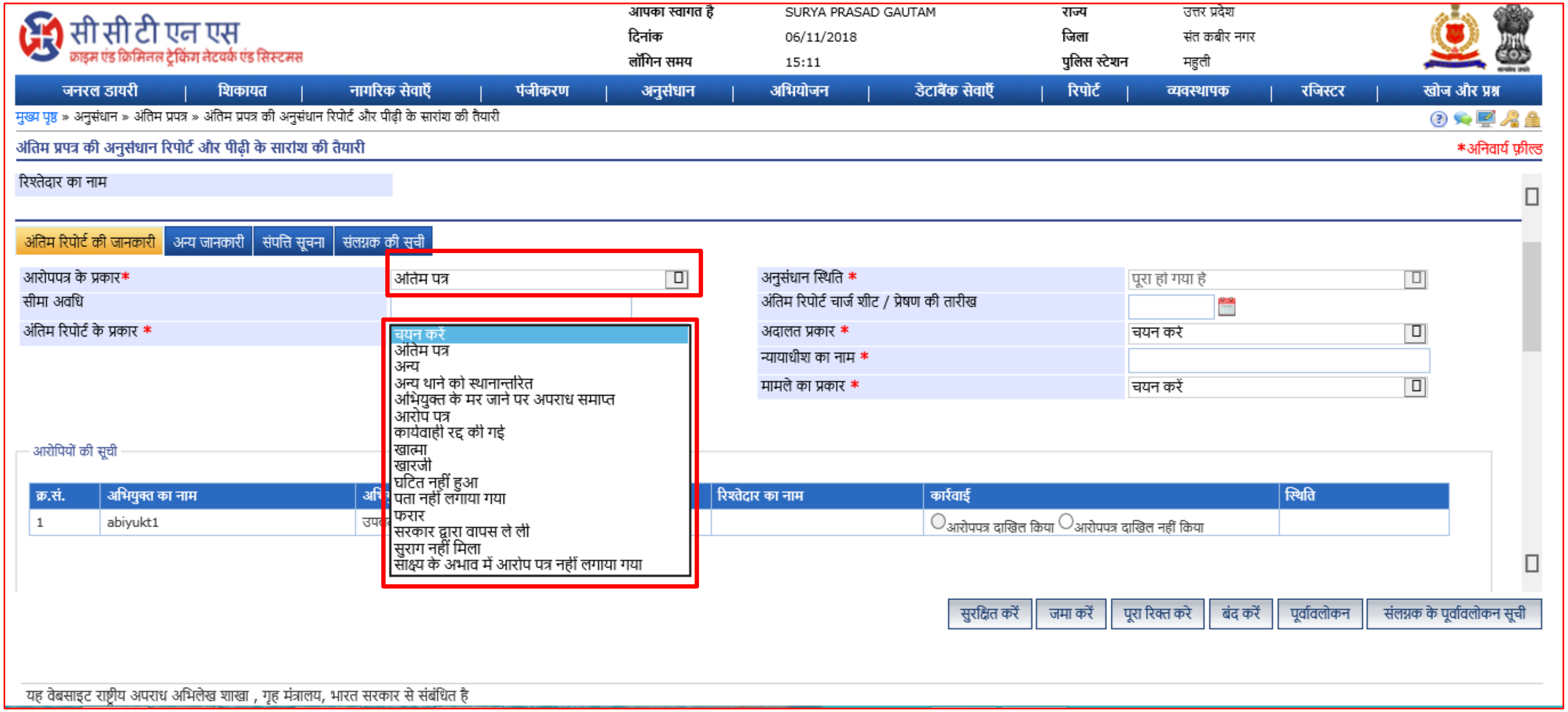

13. “अंतिम रिपोर्ट की जानकारी”→”अदालत प्रकार” में अदालत का चयन किया जा सकता है |

14. “अंतिम रिपोर्ट की जानकारी”→”मामले का प्रकार” मे प्रकरण का चयन किया जा सकता है |

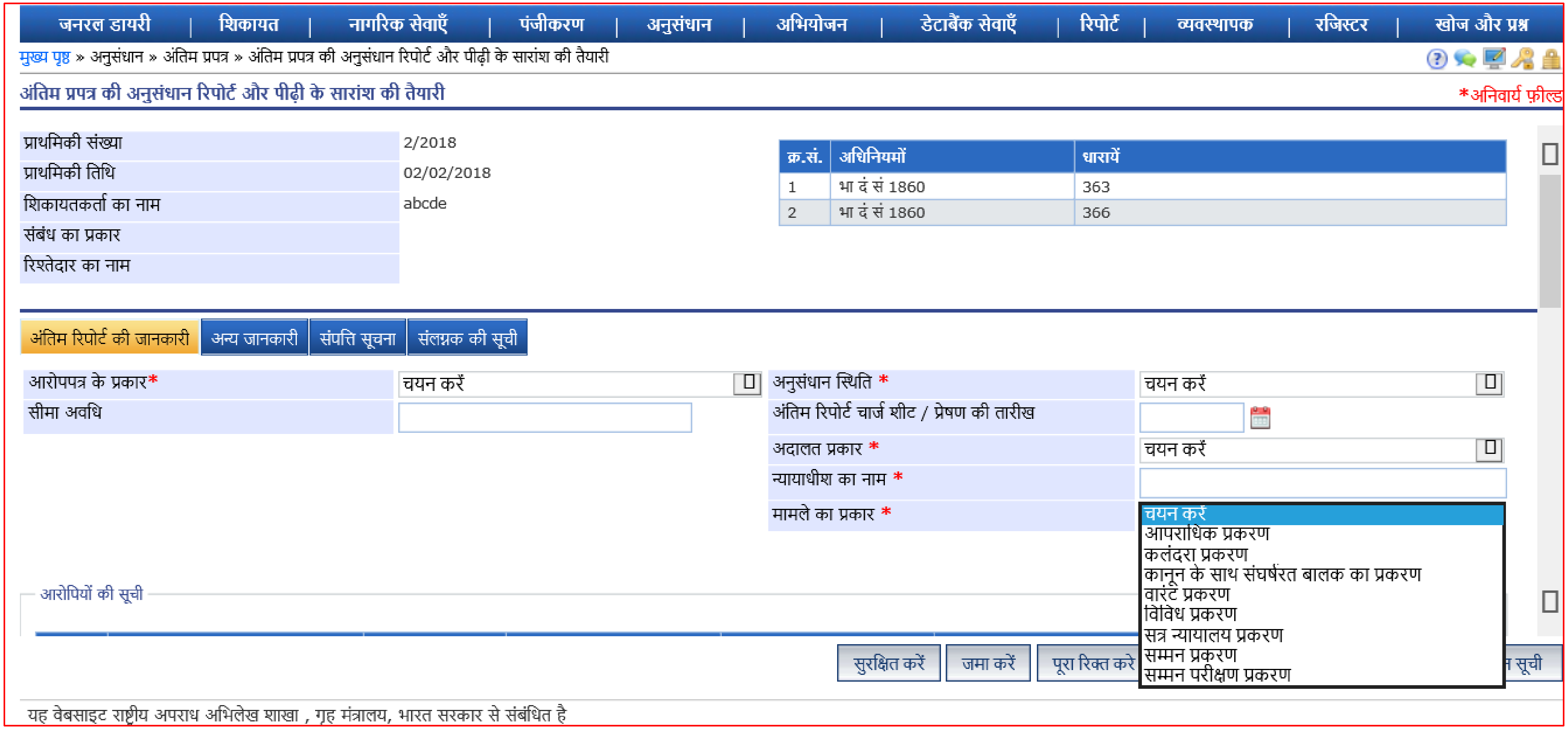

15. “अंतिम रिपोर्ट की जानकारी”→”आरोपियों की सूची” में सम्बंधित FIR/NCR से जुड़े अभियुक्तों की सूची प्रदर्शित होती है | “कार्रवाई” के अंतर्गत दो रेडियो बटन, “आरोपपत्र दाखिल किया” एवं “आरोपपत्र दाखिल नहीं किया” प्रदर्शित होते हैं |

16. एक से ज्यादा अभियुक्तों के विरुद्ध “आरोपपत्र दाखिल किया” एवं “आरोपपत्र दाखिल नहीं किया” से सम्बंधित विवरण भरा जा सकता है |

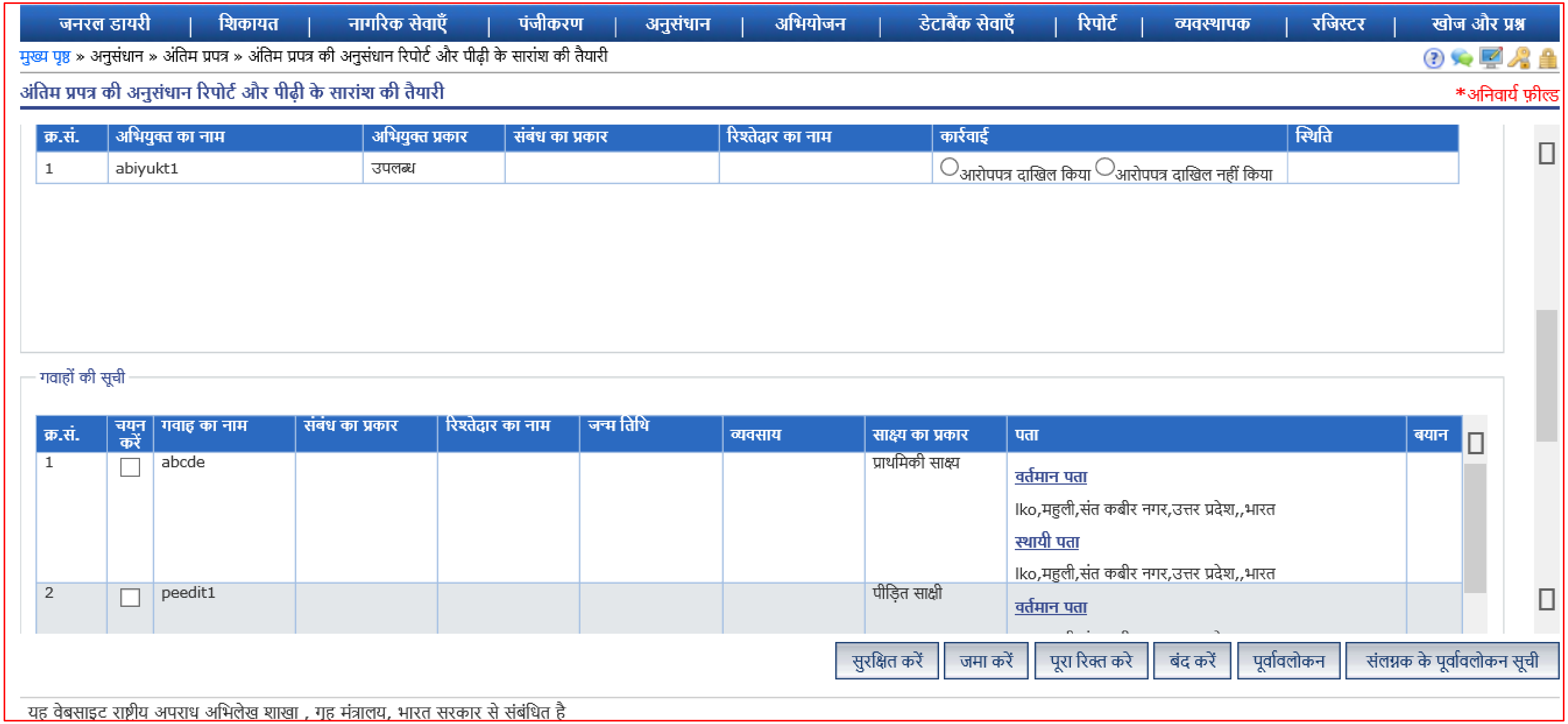

जनरल डायरी | शिकायत | नागरिक सेवाएँ | पंजीकरण | अनुसंधान | अभियोजन | डेटाबेंक सेवाएँ | रिपोर्ट | व्यवस्थापक | रजिस्टर | खोज और प्रश्न

मुख्य पृष्ठ » अनुसंधान » अंतिम प्रपत्र » अंतिम प्रपत्र की अनुसंधान रिपोर्ट और पीढ़ी के सारांश की तैयारी

अंतिम प्रपत्र की अनुसंधान रिपोर्ट और पीढ़ी के सारांश की तैयारी

*अनिवार्य फ़ील्ड

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त प्रकार	संबंध का प्रकार	रिश्तेदार का नाम	कार्रवाई	स्थिति
1	abiyukt1	उपलब्ध			○आरोपपत्र दाखिल किया ○आरोपपत्र दाखिल नहीं किया	

गवाहों की सूची

क्र.सं.	चयन करें	गवाह का नाम	संबंध का प्रकार	रिश्तेदार का नाम	जन्म तिथि	व्यवसाय	साक्ष्य का प्रकार	पता	बयान
1	☐	abcde					प्राथमिकी साक्ष्य	वर्तमान पता lko,महुली,संत कबीर नगर,उत्तर प्रदेश,,भारत स्थायी पता lko,महुली,संत कबीर नगर,उत्तर प्रदेश,,भारत	
2	☐	peedit1					पीड़ित साक्षी	वर्तमान पता	

सुरक्षित करें | जमा करें | पूरा रिक्त करे | बंद करें | पूर्वावलोकन | संलग्नक के पूर्वावलोकन सूची

यह वेबसाइट राष्ट्रीय अपराध अभिलेख शाखा , गृह मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है

17. “अंतिम रिपोर्ट की जानकारी”→”आरोपियों की सूची”→“आरोपपत्र दाखिल किया” चुनने पर भरा जाने वाला विवरण

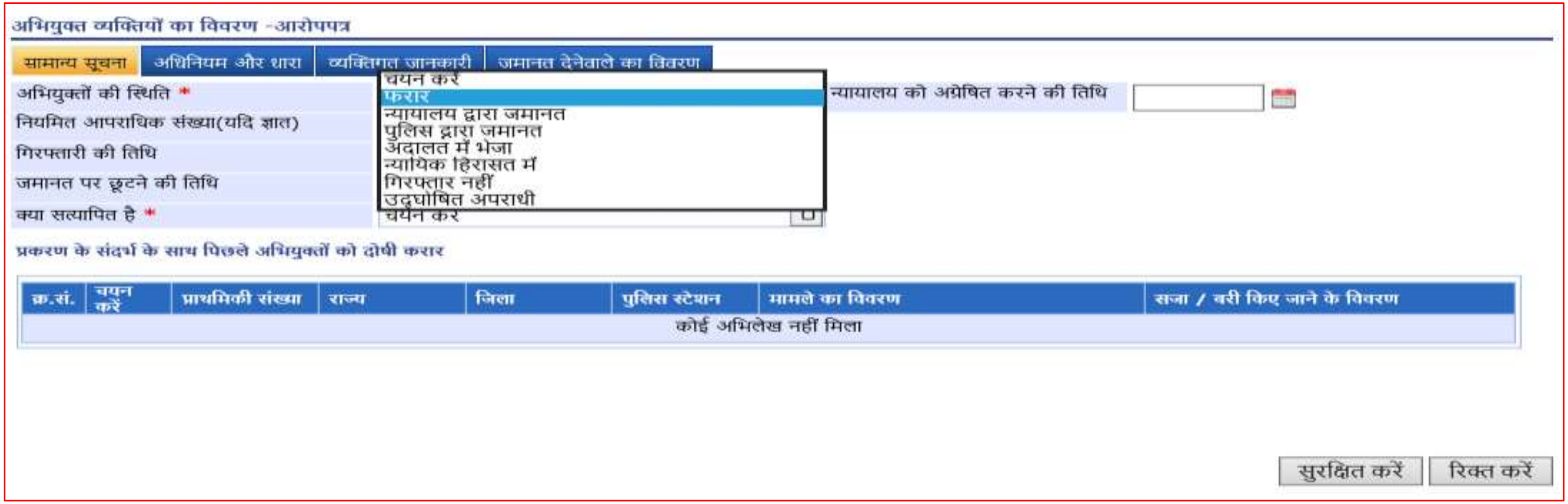

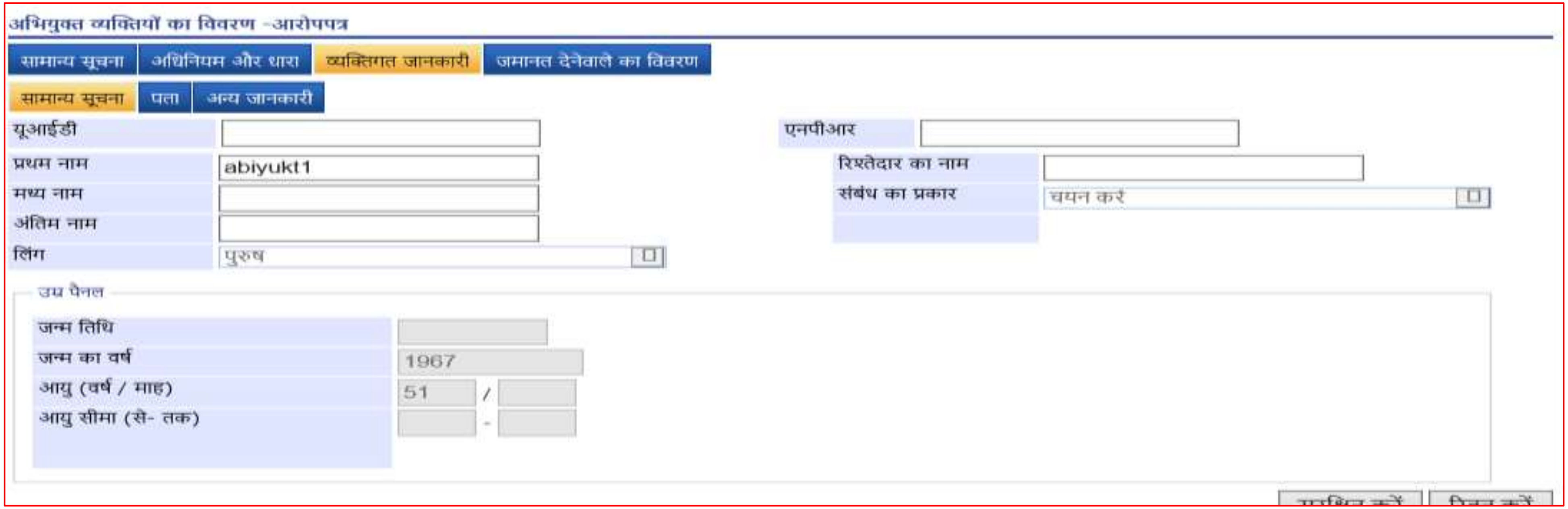

18. “अंतिम रिपोर्ट की जानकारी”→”आरोपियों की सूची”→ “आरोपपत्र दाखिल नहीं किया” चुनने पर भरा जाने वाला विवरण

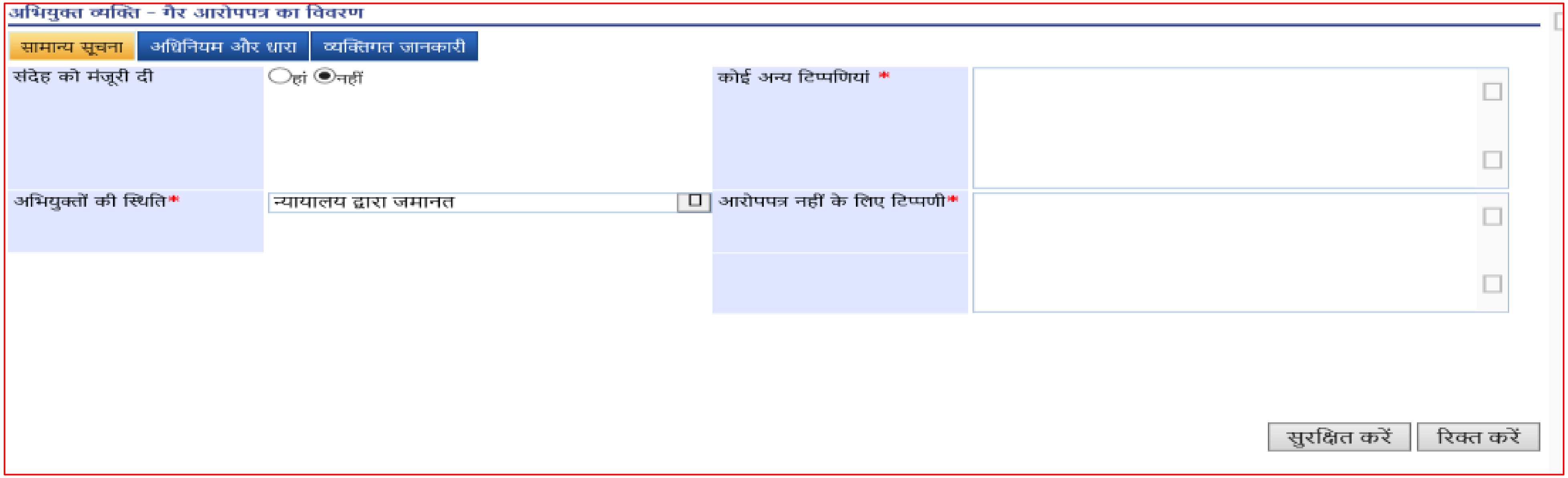

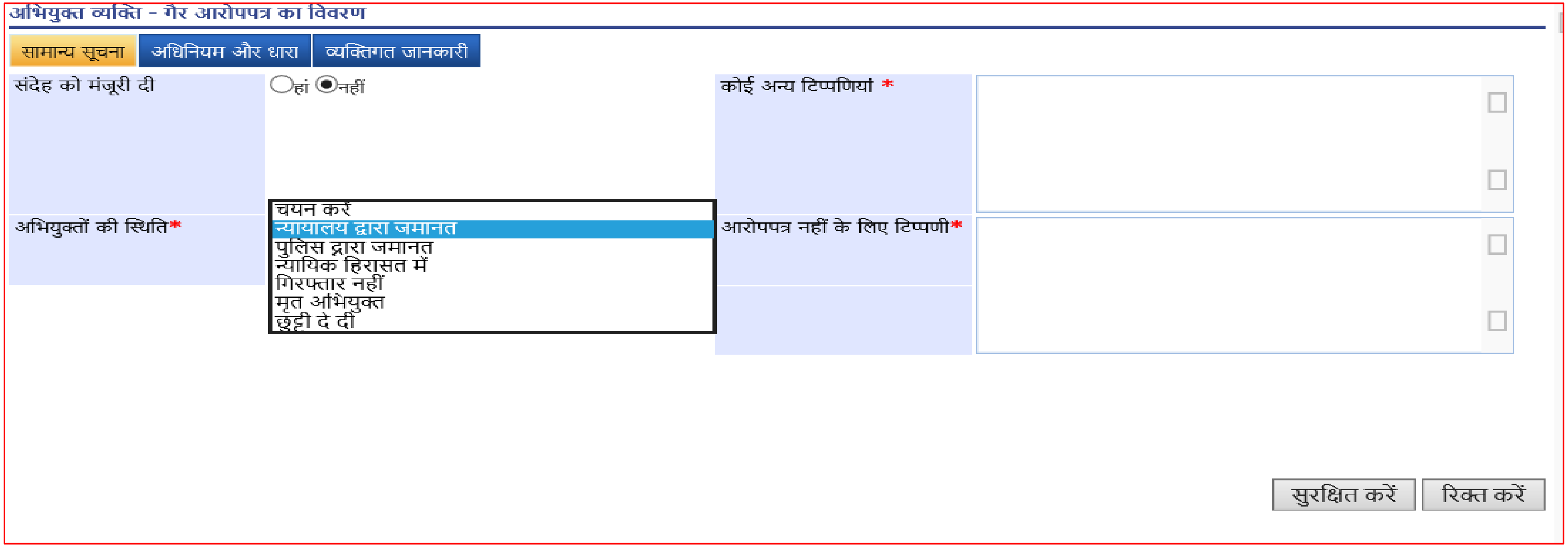

19. “अंतिम रिपोर्ट की जानकारी” टैब में सभी “पीड़ित”, “साक्षी” के रूप में “गवाहों की सूची” में प्रदर्शित होते हैं एवं उनके “साक्ष्य का प्रकार” में “पीड़ित साक्षी” प्रदर्शित होता है |

20. “अंतिम रिपोर्ट की जानकारी” टैब में सभी विवेचक एवं शिकायतकर्ता “साक्षी” के रूप में “गवाहों की सूची” में प्रदर्शित होते हैं |

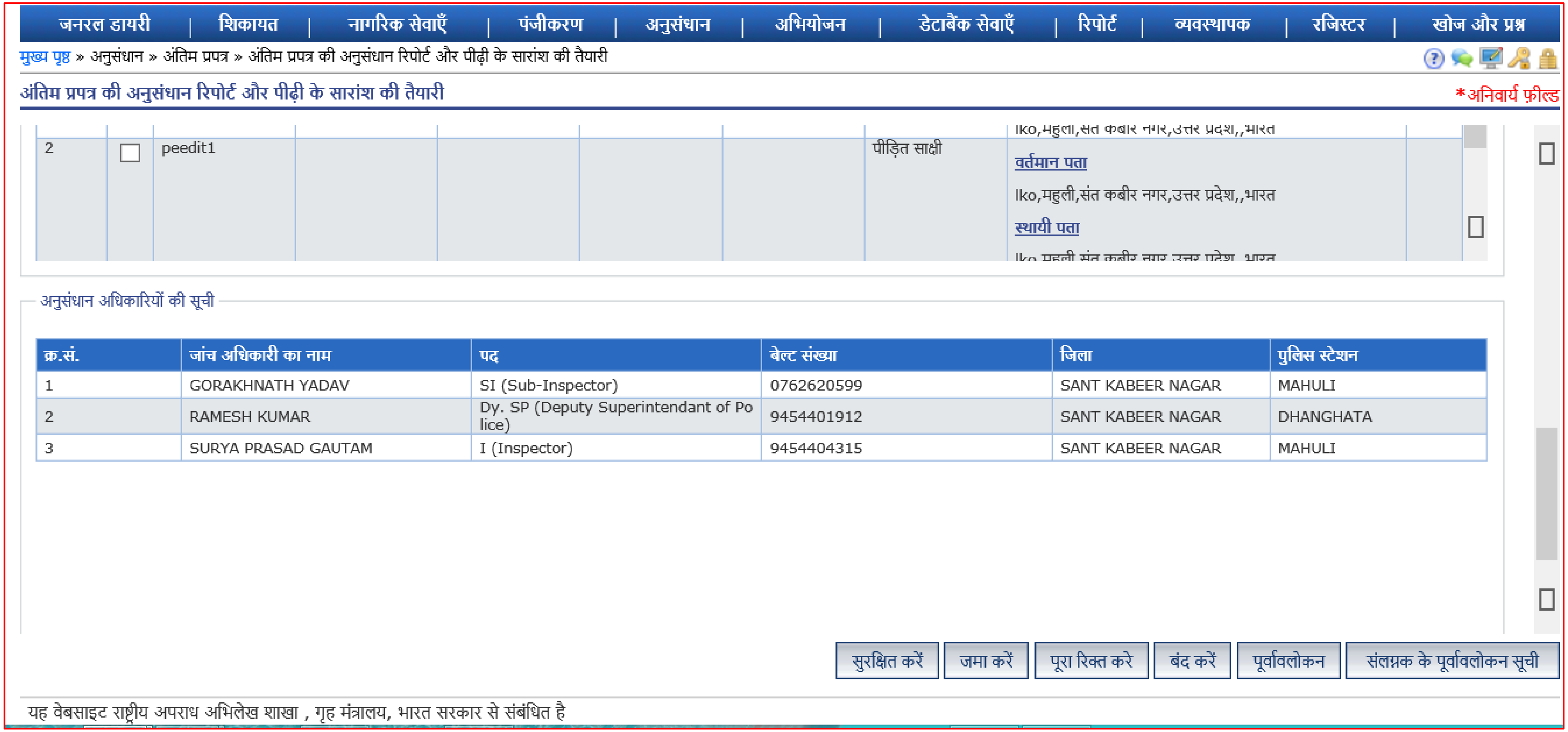
जनरल डायरी | शिकायत | नागरिक सेवाएँ | पंजीकरण | अनुसंधान | अभियोजन | डेटाबैंक सेवाएँ | रिपोर्ट | व्यवस्थापक | रजिस्टर | खोज और प्रश्न

मुख्य पृष्ठ » अनुसंधान » अंतिम प्रपत्र » अंतिम प्रपत्र की अनुसंधान रिपोर्ट और पीढ़ी के सारांश की तैयारी

अंतिम प्रपत्र की अनुसंधान रिपोर्ट और पीढ़ी के सारांश की तैयारी

*अनिवार्य फ़ील्ड

lko,महुली,संत कबीर नगर,उत्तर प्रदेश,,भारत

2 peedit1 पीड़ित साक्षी वर्तमान पता lko,महुली,संत कबीर नगर,उत्तर प्रदेश,,भारत स्थायी पता lko,महुली,संत कबीर नगर,उत्तर प्रदेश,,भारत

अनुसंधान अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	जांच अधिकारी का नाम	पद	बेल्ट संख्या	जिला	पुलिस स्टेशन
1	GORAKHNATH YADAV	SI (Sub-Inspector)	0762620599	SANT KABEER NAGAR	MAHULI
2	RAMESH KUMAR	Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)	9454401912	SANT KABEER NAGAR	DHANGHATA
3	SURYA PRASAD GAUTAM	I (Inspector)	9454404315	SANT KABEER NAGAR	MAHULI

सुरक्षित करें | जमा करें | पूरा रिक्त करे | बंद करें | पूर्वावलोकन | संलग्नक के पूर्वावलोकन सूची

यह वेबसाइट राष्ट्रीय अपराध अभिलेख शाखा , गृह मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है

21. “अन्य जानकारी” टैब में प्रयोगशाला परिणाम, दस्तावेज अपलोड करना मामले का संक्षिप्त तथ्य आदि अंकित किया जा सकता है |

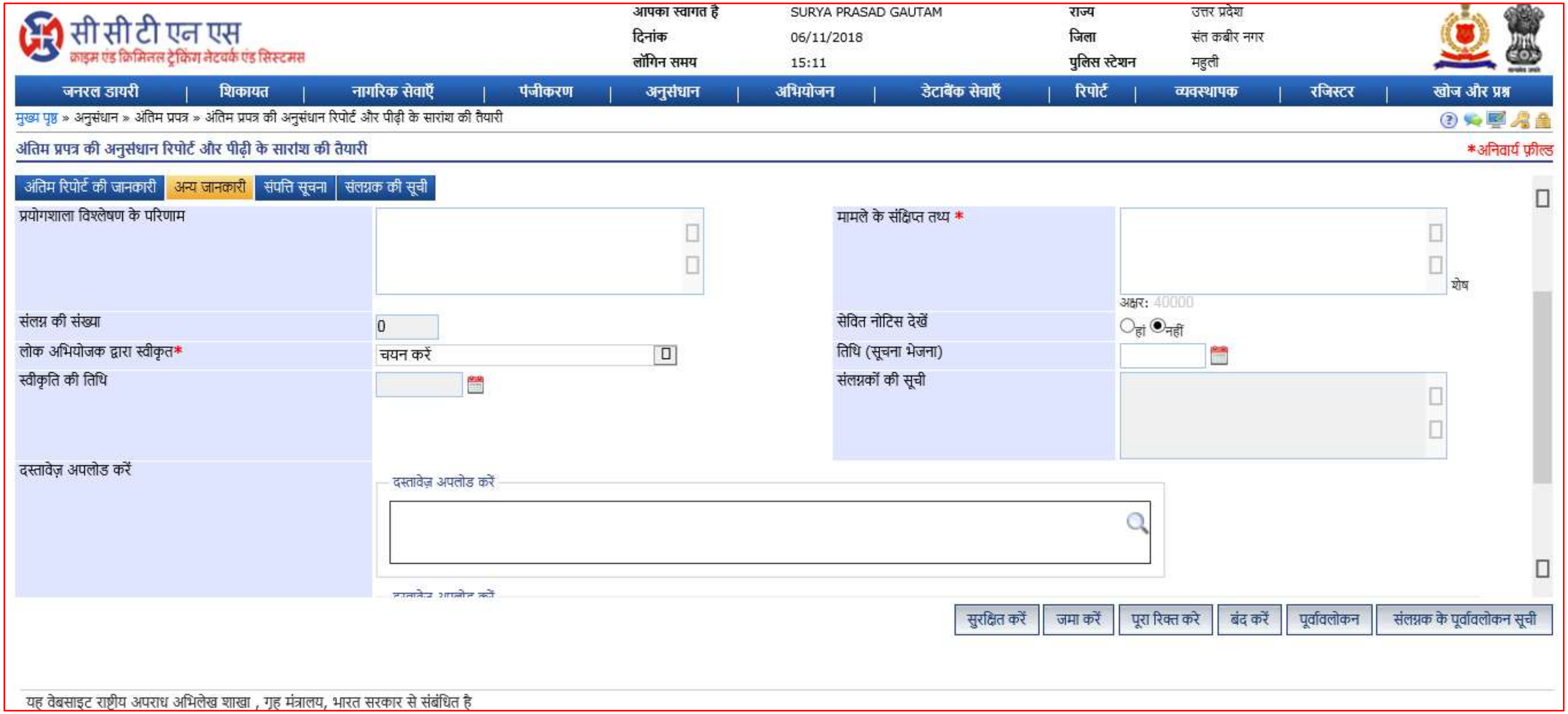

22. FIR/NCR एवं अपराध विवरण, स्वयं ही संलग्नकों की सूची में प्रदर्शित होने लगते हैं | इसके अतिरिक्त, जो भी दस्तावेज जोड़े जाते हैं, वह संलग्नकों की सूची में प्रदर्शित होने लगते हैं |

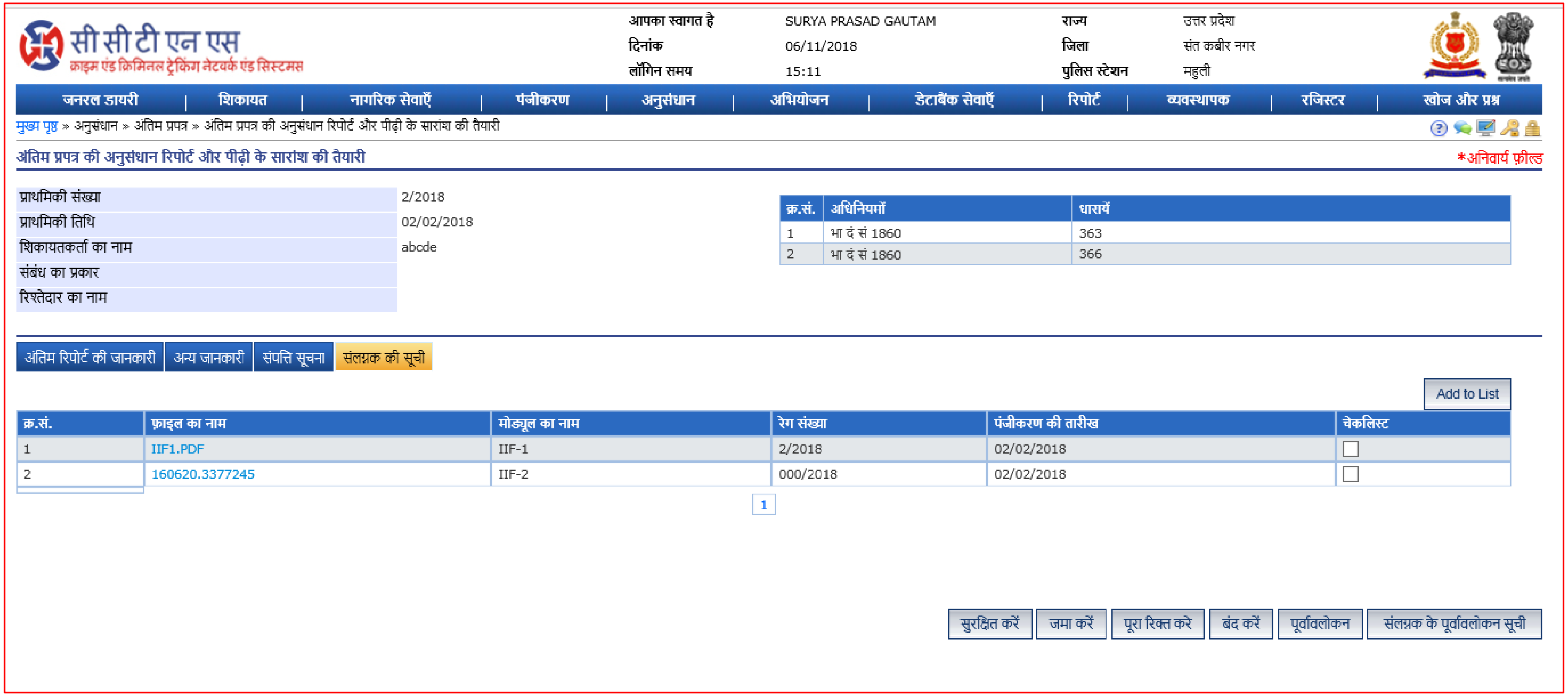

23. कार्य पूर्ण करने पर “जमा करें” बटन पर क्लिक करें |

-- धन्यवाद --